न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– शुचि त्यागी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर
अपील नम्बर :– 168/2017 (RCMS No.- 2017/00230)
उनवानी प्रकरण :–
सुघरी पुत्र मौहरसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम लौहरे का पुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर ———— अपीलान्ट।

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार कंचनपुर जिला धौलपुर ——— रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.02.2017
नायब तहसीलदार कंचनपुर प्र.सं. 61/2017
उनवानी राजस्थान सरकार बनाम सुघरी
अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री यतीन्द्र कुमार त्यागी अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा, राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–30.01.2018

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार कंचनपुर के निर्णय दिनांक 13.02.2017 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अपीलान्ट के विरूद्ध किया जाना तहरीर किया है। पटवारी हल्का ने अपीलान्ट का आराजी खसरा नम्बर 119 रकवा 22 बीघा 11 विस्वा में से 1 बीघा भूमि पर कब्जा कर अतिचार होना कहा गया है। अपीलान्ट को अतिचारी मानते हुए अपीलान्ट को अनुपस्थित बताते हुए अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर 225 रूपये से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह कतई गलत है, एंव मात्र कल्पना के आधार पर प्रस्तुत की है। अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नही किया गया है और ना ही कोई सूचना तलबी की हुई। ना जाने किस प्रकार तामील मानते हुए अनुपस्थित दिखाया जाकर तामील मानी है। अपीलान्ट पर कोई विधिवत तामील नही हुई है। अपीलान्ट को जवाब पेश करने एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नही किया है। अतः आदेश कानूनन गलत एंव विधि विरूद्ध है। बिना नाप तौल व अपीलान्ट को मौके पर बुलाये बिना 1 बीघा लिखकर अतिक्रमण मानने में कानूनी भूल की है जबकि अपीलान्ट ने किसी सरकारी भूमि पर कब्जा नही किया है। ना मौके पर किसी पडोसी काश्तकार से पूछताछ की है। पूर्व में नाप तौल

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर

कर अपीलान्ट ने उक्त भूमि से कब्जा हटा लिया था तो पुनःअतिक्रमण करने का सवाल ही नही उठता है। अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नही किया है। निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 16.11.2017 को हुई। इससे पूर्व अपीलान्ट को कोई ज्ञान नही था। प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.2.2017 निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 13.02.17, रिर्पोट पटवारी हल्का की प्रमाणित प्रतिलिपि एंव राशि जमा रसीद की प्रति पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी मानते हुए शास्ती एवं एक माह के कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है, जो अवैध है। अपीलान्ट अतिक्रमी नही है। पटवारी हल्का ने मात्र कल्पना के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किया है और न ही कोई भी सूचना तलबी की हुई है। अपीलान्ट को जबाव पेश करने एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। अपीलान्ट ने न्यायालय के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि विवादित आराजी का कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में कभी कब्जा नही करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.02.2017 अपास्त किया जावे।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान, दैनिक डायरी एवं खसरा परिवर्तनशील से होती है। तथा अपीलान्ट स्वंय ने अपनी अपील में पूर्व में कब्जा होना स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट पर हुई है। फसल नीलामी कार्यवाही मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने फसल सरसो बोकर अतिक्रमण किया है। फसल नीलामी की अन्तिम बोली अपीलान्ट ने लगाई है। जिस पर अपीलान्ट स्वंय के हस्ताक्षर है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, असत्य है, क्योंकि अपीलान्ट निर्णय दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ, उसे अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग करनी चाहिए थी। इस प्रकार अधीनस्थ

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। निर्णय पूर्णरूपेण सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.02.2017 यथावत रखा जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस सुनने एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फसल नीलामी कार्यवाही मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा आराजी पर फसल सरसो बोकर अतिक्रमण किया गया है।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान, दैनिक डायरी एवं खसरा परिवर्तनशील से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट विवादित भूमि पर पूर्व में अतिक्रमी रहा है।
3. अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है कि विवादित आराजी का कब्जा छोड़ दिया है, तथा भविष्य में कभी कब्जा नही करेगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार कंचनपुर मौके पर जाकर पुष्टि करेंगे कि वास्तव में अपीलान्ट ने कब्जा हटा लिया है। यदि अपीलान्ट शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर कब्जा करता है तो उसे दी गई सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत बहाल रहेगा तथा झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार, अपीलान्ट के विरूद्ध नियमानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं असल शपथ पत्र निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाए जावे। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर, धौलपुर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर